नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि
1.4.15 से 31.3.17
भाग-एक

1 पारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81-फिन (एल०ए०) खण्ड -(ख) IV/ दिनांक 10.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद कांगड़ा के लेखों का अंकेक्षण अवधि 1.4.15 से 31.3.17 का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद कांगड़ा में निम्नलिखित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुमन वर्मा	01.04.15 से लगातार

कार्यकारी अधिकारी

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री किशोरी लाल ठाकुर	01.04.2015 से 09.03.16
2	श्रीमति कंचन बाला	10.03.16 से लगातार

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	(₹) लाखों में
1	रोकड़ वही का अन्तशेष कम दर्शाना	4(ख)	0.21
2	अनुदान का उपयोग हेतु शेष	6	369.18
3	गृह कर की राशि वसूली हेतु शेष	7	28.28
4	दुकानों के किराये की राशि वसूली हेतु शेष	8	13.99

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का पाल्पण कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

अंकेक्षण शुल्क

परिषद के अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹57800 आँका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या FIN(LA)C/K&C/2017-66 दिनांक 16.08.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में नगर परिषद द्वारा ड्राफ्ट संख्या 724021 दिनांक 22.08.17 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

वितीय स्थिति

नगर परिषद कांगड़ा अवधि 01/04/15 से 31/03/17 के लेखों की वितीय स्थिति (स्वयं स्त्रोत से आय तथा सहायता अनुदान से प्राप्त आय) निम्न प्रकार से है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है।

(क) मुख्य रोकड़वही :- (परिशिष्ट "ख")

Year	Opening Balance	Recipt	Intt.	Grants recived	Total	Payments	Closing Balance
2015-16	47789242	12316564	2481119	32694698	95281623	44125422	51156201
2016-17	51156201	12777317	3807723	131625876	199367117	137750873	61616244

नोट :- वर्ष 2015-16 व 2016-17 में उपरोक्त व्यय में जल एवं जन स्वास्थ्य विभाग को क्रमश: **₹168.67** लाख व **₹1033.93** लाख शहरी विकास विभाग से प्राप्त सीवरेज प्रणाली अनुदान के हस्तांतरण किये गए है, जिसका विवरण परिशिष्ट – ख में संलग्न है।

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹61616244

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष ₹61633179

अन्तर की राशि : ₹16935

भौतिक सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्यवाही से इस विभाग/ कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

6 लघु आपति विवरणी :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों काअंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

7 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों को निपटानें हेतु यथाशीघ्र उचित कार्यवाही अम्ल में लाई जानी चाहिए।

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

11 MAY 2018

ष्ठांकन संख्या:– V(5) फिन(एल0ए0डी0) खण्ड–5 दिनांक शिमला–09 - 3316

तिलिपि– निम्ने को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

जीकृत

1. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कांगडा, जिला कॉंगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 की पैरा संख्या 1 (ख) पर वर्णित गम्भीर अनियतिताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881